

समाहरणालय नवादा
जिला भू-अर्जन कार्यालय, नवादा।

अधिघोषणा

भू-अर्जन

दिनांक.....

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मकनपुर, थाना बारिसलीगंज, थाना न०-474 परगना- जिला- नवादा से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् राज्य उच्च पथ संख्या-83 (बागी-बरबीघा) के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम मकनपुर थाना न०-474 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमवेश 0.070 एकड़ के बराबर होता है।

जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:- 5637, 5636, 5644 एवं 5945 अंश खेसरा

रकबा:- 0.070 एकड़,

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर:- 5636, 5638, 5639, 5639, Village Boundaries, 7250, 7247, 7247, 7246 & 5946

दक्षिण:- 5635, Road, 5638, 7254, 7252, 7251, 7250, 7248 & 5944

पूरब:- Road, Road, Road, Road, 7190, 7190, 7190, 7190 & Road

पश्चिम:- Village Boundaries, 5638, Road, Road, Road, Road, Road, Road & 6560 Naala

भूमि के किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों से केवल वे भाग जिन्हे जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिये खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिया जायेगा।

यह अधिघोषणा बिहार भू-अर्जन अधिनियम 1 of 1894 की धारा 6 एवं अधिनियम XVIII of 1885 की धारा 3(1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी नवादा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
नवादा।

अपर समाहर्ता
नवादा

सरकार के अपर सचिव

ज्ञा० सं०-15/डी०एल०ए० नवादा (रा०उ०प०)-05/12-31.08./रा०, पटना-15, दिनांक- 31/12/2012

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को (तीन प्रतियों में) सी०डी० के साथ दो समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं उसकी प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, नवादा को नवादा जिला के अगले गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।